हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वास्ते जवाब अपील नामान्तरकरण पत्रावली दिनांक 31/01/2020 को पेश हो।	

01/2020 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उप०। वकील रेस्पोंडेंट ने जवाब प्रस्तुत न कर सीधी बहस हेतु निवेदन किया। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्ष सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 03/02/2020 को पेश हो।

02/2020 पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उप०। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। दरवक्त बहस वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए नामान्तरकरण सं० 199 दिनांक 04/09/19 पर पारित निर्णय दिनांक 21.10.2019 को अपास्त करते हुए बख्शीसनामा दिनांकित 20/05/2019 के अनुसार विवादित आराजी को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

वकील अपीलान्ट की बहस

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म ... में ...
	के जवाब में वकील रेस्पोंडेंट ने वरवक्त बहस तर्क प्रस्तुत किए कि विवादित आराजी बाबत ग्राम पंचायत ढाल्यावास द्वारा नामान्तरकरण सं० 17 दिनांक 04/09/2019 को पारिवारिक विवाद व पुश्तैनी भूमि होने के खारिज किया गया है। अत: अपीलान्ट का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस पत्रावली उभय पक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि विवादित आराजी ख० नं० 1520, 1521 रकबा 1.84 है० में से 1/2 हिस्सा तत्समय खातेदार काश्तकार बदरीनारायण पुत्र [illegible]माराम द्वारा अपीलान्ट को जरिए रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिया गया है। अत: विवादित आराजी ख० नं० 1520, 1521 रकबा 1.84 है० में से 1/2 हिस्सा तन ग्राम चौधरियोंवाली प० ह० जयरामपुरा के संबंध में ग्राम पंचायत ढाल्यावास द्वारा नामान्तरकरण सं० 17 दिनांक 04/09/19 पर पारित निर्णय दिनांकित 21/10/2019 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार खण्डेला को निर्देशित किया जाता है	

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

... जाता है। पत्रावली

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
कि विवादित आराजी ख० नं० 1520 व 1521 रकबा 1.84 हे० में से 1/2 हिस्सा तन ग्राम चौधरियोंवाली का मुताबिक रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांकित 20/05/2019 पुन: नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03/02/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रणजीत सिंह) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner